छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक 04/11/2015

कमांक एफ–1–108/राजस्व/राहत/2015, राज्य शासन एतद् द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 संशोधित दिनांक 9.06.2015 में आंशिक संशोधन करते हुये प्राकृतिक प्रकोप के अर्न्तगत ' **सूखा** ' को भी सम्मिलित किया जाता है।

2/ सूखा से जनहानि, पशुहानि, फसलक्षति आदि होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 में निहित प्रावधान अनुसार प्रभावित हितग्राहियों को अनुदान सहायता प्रदान की जावें ।

3/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के0आर0 पिस्दा) 4/11/2015
राहत आयुक्त/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ. कमांक एफ–1–108/राजस्व/राहत/2015/126 नया रायपुर, दिनांक 04/11/2015

प्रतिलिपिः

1. मान. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. मान. मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. समस्त मान. मंत्रीगण /संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
4. मुख्य सचिव के उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर ।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय रायपुर ।
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
8. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर।
9. संभागीय आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा ।
10. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर ।
11. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
12. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।

राहत आयुक्त/सचिव 4/11/2015
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

order-